[Logo]

सन्दर्भ: GJC/Circular-KP/2004-05/ 12 जून, 2004

के लिए: परिषद के सभी सदस्य

के द्वारा: मीना धरोड़, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, केपीसीएस- भारत, निदेशक (एम एंड आर); जीजेईपीसी, म्ंबई

उत्तर: किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना

जैसा कि आप जानते हैं, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना के अंतर्गत जीजेईपीसी को भारत की प्रमुख एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। केपी अनुबंध की विश्वसनीयता को मजबूत करने हेतु, साथ ही साथ ग्राहकों को हीरों के उद्गम के प्रति आश्वासन देने के लिए साधन प्रदान करने के लिए, विश्व हीरा परिषद ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग हीरों के लिए एक 'सिस्टम ऑफ़ वारंटी' बनाएं और लागू करें। इस सिस्टम के अंतर्गत, जिसका प्रचार किम्बर्ली प्रोसेस के प्रतिभागियों ने किया है, दोनों अपरिष्कृत और परिष्कृत हीरों के सभी खरीदार और विक्रेताओं को सभी बिलों पर निम्नलिखित स्वीकारोक्ति बयान छपवाना पडेगा:

"चालान किये गये हीरें वैध स्त्रोत से खरीदें गये हैं जिनमें कोई निधिकरण कॉनिफ्लिक्ट नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से मान्य हैं। हीरों के संभरक द्वारा दी गयी व्यक्तिगत जानकारी और / लिखित गारंटी के हिसाब से विक्रेता इस बात की गारंटी देता है कि हीरें कॉनिफ्लिक्ट से मुक्त हैं।"

इसके अतिरिक्त, अपरिष्कृत और परिष्कृत हीरों का कारोबार करने वाली हर कंपनी को **हीरें** खरीदने या बेचने के समय सभी मिले वारंटी चालानों और सभी जारी किये गये वारंटी चालानों का रिकॉर्ड रखना होगा। इन मिली हुई वारंटियों और दी गयी वारंटियों का वार्षिक आधार पर कंपनी के खुद के लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परिक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। अगर किसी यथावत् अधिकृत सरकारी संस्था ने इसके बारे में पूछा, तो ये रिकॉर्ड यह साबित कर सकें कि आप किम्बर्ली प्रोसेस का पालन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी उद्योग संस्था और उनके सदस्यों को सेल्फ-रेगुलेशन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अंगीकरण करना होगा:

- सिर्फ उन्हीं कंपनियों से व्यापार करना जिनके चालानों पर वारंटी की घोषणा हो;
- संदेहास्पद सूत्र या अनजाने संभरक या केपीसीएस लागू ना करने वाले देशों से आए हीरों को नहीं खरीदना;
- ऐसे सूत्र, कानूनी प्रोसेस सिस्टम से बंधने के बाद, जिन्हें कॉनिफ्लिक्ट हीरों के व्यापार के नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा गया है उनसे हीरें नहीं खरीदना;
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकारी प्राधिकरण ने पहचाना है जहाँ से कॉनिफ्लिक्ट हीरें आते है या बिक्री के लिए उपलब्ध है वहां से हीरें नहीं खरीदना जब तक ऐसे क्षेत्रों से निर्यात हीरें केपीसीएस के नियमों के हिसाब से नहीं हो;
- जानब्झकर कॉनिफ्लिक्ट हीरें नहीं खरीदना या बेचना या किसी और की खरीदने या बेचने में मदद करना
- ये सुनिश्चित करना की कंपनी के सभी कर्मचारी जो हीरा व्यापार के अंतर्गत हीरें खरीदते या बेचते हैं कॉनिफ्लिक्ट हीरों के व्यापार से जुड़े सभी व्यापार प्रस्तावों और सरकारी नियमों से अच्छी तरह से परिचित हैं।

File_13_28974_12June2004_C01_Translated

उपर्लिखित सिद्धांतों का पालन नहीं करने पर सदस्य को उद्योग संस्था से निकाल दिया जाएगा।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org

किम्बर्ली प्रोसेस की शर्तों के अंतर्गत, बिक्री पर वारंटी घोषणा जारी करने पर इसे उल्लंघन माना जाएगा जब तक इसकी खरीद पर जारी वारंटी चालान से प्रमाणित नहीं किया जाएगा।

इन सिद्धांतों का पालन ना करने पर इसकी जांच की जाएगी और इस से जीजेईपीसी की सदस्यता से निकाला भी जा सकता है।

सदस्य कृपया इन बातों का ध्यान रखें और इस सिस्टम को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में हमारी मदद करें।

सादर,

[Signature]

नक़ल: अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / संयोजक - हीरा पैनल समिति जीजेईपीसी